

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक-

/23

सतना, दिनांक : 31.01.2023


(आदेश)

मैं, अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सतना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक-सी/1486/III-2-15/04 जबलपुर दिनांक-21.04.2016 के परिपालन में जेल में निरूद्ध कैदियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाती हूँ। निम्न तिथियों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में 10:45 बजे से आवश्यक रूप से उपस्थित होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य सम्पादित करेंगे।

क	व्ही.सी. कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह-फरवरी 2023	माह-मार्च 2023	माह-अप्रैल 2023
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शक्ती वर्मा,	1, 14	1, 17	1,
2	श्री भूपेश कुमार मिश्रा,	2, 15	2, 20	3,
3	सुश्री वंदना मालवीय,	3, 16	3, 21	5, 21
4	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल,	4, 17	4, 23	6, 24
5	श्री शैलेन्द्र उइके,	6, 20	6, 24	8, 25
6	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	7, 21	8, 25	10, 26
7	श्रीमती अदिति कुमार शर्मा,	8, 22	10, 27	11, 27
8	श्री शिरीष शुक्ला,	9, 23	11, 28	12, 28
9	श्रीमती संगीता शुक्ला,	10, 24	13, 29	13, 29
10	सुश्री श्वेता सिंह,	11, 25	14, 31	17, 19
11	सुश्री रूपा मिश्रा,	13, 27, 28	15, 16	18, 20

नोट :-

- 1- न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्य आ जाने पर अवकाश लेने की स्थिति में कार्य विभाजन आदेशानुसार अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
- 2- रिमाण्ड अवधि में यदि पेशी नियत की जाती है तो उक्त रिमाण्ड दिनांक को रिमाण्ड करने वाला न्यायिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों की उपस्थिति अंकित करेंगे।
- 3- सिस्टम अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अवधि में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारम्भ करेंगे तथा नायब नाजिर भी उक्त अवधि में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उक्त अवधि में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर व्यवस्था करेंगे।



अनीता खजुरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना

पृष्ठांकन क्रमांक- 16(2)/23

सतना, दिनांक : 31.01.2023

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- किमिनल रीडर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना (म.प्र.)।
- 3- जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सतना (म.प्र.)।
- 4- सिस्टम अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सभी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सतना को ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।


अनीता खजुरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना